दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 01 मार्च, 2023
निर्णय की तिथि: 24 मई 2023

रि.या. (सि.) 10486/2021 और सि.वि. सं. 32298/2021

रि.या. (सि.) 10493/2021 और सि.वि. सं. 15428/2022

रि.या. (सि.) 10519/2021 और सि.वि. सं. 32389/2021

रि.या. (सि.) 10539/2021 और सि.वि. सं. 32491/2021, 32493/2021 और 42464/2022

सतीश चंद्र वर्मा, आई.पी.एस. ...याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:</u>

याचिकाकर्ता के लिए: श्री आई.एच. सैयद, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री राहुल शर्मा एवं सुश्री सुरूर मंदर, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण के लिए: श्री अरुण भारद्वाज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, सी.जी.एस.सी. सह श्री अभिषेक शर्मा, सुश्री गौरान, श्री निशांत बहुगुणा और श्रीश कुमार मिश्रा, श्री सागर महलावत, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे अधिवक्तागण और श्री ए.के. सरन, जे.एस. (पी-1) प्रत्यर्थी/भारत संघ के लिए।

श्री कुमार परिमल, प्रत्यर्थी सं. 7/नीपको के लिए अधिवक्ता।

सुश्री मनीषा लव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रविकांत जैन प्रत्यर्थी सं. 9/गुजरात राज्य के लिए अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. संजीव सचदेवा</u>

1. रि.या. (सि.) 10486/2021 में, याचिकाकर्ता, मू.आ. 452/2020 (निर्णय में गलती से मू.आ. 454/2020 के रूप में संदर्भित) में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने की मांग करता है और दिनांक 28.09.2018 के आरोप ज्ञापन को भी अभिखंडित करने की मांग करता है।

2. रि.या. (सि.) 10493/2021 में, याचिकाकर्ता, मू.आ. 454/2020 (निर्णय में गलती से मू.आ. 452/2020 के रूप में संदर्भित) में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने की मांग करता है, और वर्ष 2015-2016 के लिए अपनी वार्षिक प्रदर्शन

मूल्यांकन रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियों को भी अभिखंडित करने की मांग करता है।

3. रि.या. (सि.) 10519/2021 में, याचिकाकर्ता मू.आ. 3610/2019 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने की मांग करता है और दिनांक 09.05.2016 के आरोप ज्ञापन को भी अभिखंडित करने की मांग करता है।

4. रि.या. (सि.) 10539/2021 में, याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में मू.आ. 453/2020 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने की मांग की थी और दिनांक 13.08.2018 के आरोप ज्ञापन को भी अभिखंडित करने की मांग की थी। इसके बाद, याचिका को वि.अनु.या. (सि) सं. 15913/2022 से उत्पन्न सिविल अपील सं. 6775/2022 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.09.2022 द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में संशोधित किया गया था। संशोधन द्वारा याचिकाकर्ता अतिरिक्त रूप से महानिदेशालय, आई.टी.बी.पी., गृह मंत्रालय की दिनांक 02.12.2020 की विभागीय जांच रिपोर्ट को अभिखंडित करने की मांग करता है और याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के दिनांक 30.08.2022 के आदेश को भी अभिखंडित करने की मांग करता है।

5. मू.आ. सं. 452/2020 (रि.या. (सि.) 10486/2021 में आक्षेपित), मू.आ. सं. 453/2020 (रि.या. (सि.) 10539/2021 में आक्षेपित) और मू.आ. सं. 3610/2019 (रि.या. (सि.) 10519/2021 में आक्षेपित) में दिए गए दिनांक 22.07.2021 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ (इसके बाद अधिकरण के रूप में संदर्भित) ने याचिकाकर्ता को जारी किए गए आरोप के तीन अलग-अलग ज्ञापनों के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त किया जाए।

6. मू.आ. सं. 454/2020 (रि.या. (सि.) 10493/2021 में आक्षेपित) में दिए गए दिनांक 22.07.2021 के निर्णय द्वारा भी अधिकरण ने याचिकाकर्ता की प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने और वर्ष 2015-16 की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के उचित मूल्यांकन के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

7. विषयगत याचिकाओं पर विचार किया जाना लंबित रहने तक, याचिकाकर्ता पर दिनांक 30.08.2022 के आदेश द्वारा "सेवा से बर्खास्तगी" का जुर्माना अधिरोपित किया गया था, जिसे अब याचिका में संशोधन करके रि.या. (सि.) 10539/2021 में आक्षेपित किया गया है।

8. याचिकाकर्ता गुजरात काडर के 1986 बैच का भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी था।

9. वर्ष 2004 की एक घटना की जांच के लिए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया गया था, जिसमें इशरत जहां नाम की एक महिला सहित चार लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। याचिकाकर्ता एस.आई.टी. का एक सदस्य था जिसने इस मामले की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

10. याचिकाकर्ता को बाद में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम (नीपको) के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के रूप में नियुक्त किया गया।

11. 13.08.2018 पर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आरोप के चार लेखों के साथ एक आरोप ज्ञापन जारी किया गया था। यह बयान दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने 2 और 3 मार्च, 2016 को गुवाहाटी में नीपको के आधिकारिक परिसर में एक समाचार चैनल "इंडिया टुडे" को बिना किसी प्राधिकार के साक्षात्कार दिया था।

12. दूसरा आरोप यह था कि साक्षात्कार में उसने गुजरात राज्य में इशरत जहां नाम की एक आतंकवादी की मुठभेड़ हत्या के संबंध में कुछ बयान दिए

और इन बयानों से राज्य और केंद्र सरकारों के विरुद्ध प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ा।

13. तीसरा आरोप यह था कि उसने प्रेस के साथ अपनी बातचीत में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में तत्कालीन अवर सचिव से पूछताछ और भारत सरकार द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर शपथपत्रों के संबंध में सीधे आधिकारिक जानकारी दी और अपनी आधिकारिक जांच का विवरण प्रस्तुत किया।

14. आरोप का चौथा लेख यह था कि उसने अपने आधिकारिक कृत्यों का समर्थन करने के लिए, जो प्रतिकूल आलोचना और मानहानिकारक प्रकृति के आक्षेप से पूर्ण थे, तथा गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री जी.के. पिल्लई के बयानों का जवाब देने हेतु प्रेस (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) का सहारा लिया था।

15. याचिकाकर्ता को महानिदेशालय, सी.आर.पी.एफ., गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरोप के चार लेखों के साथ दिनांक 28.09.2018 को एक और आरोप ज्ञापन जारी किया गया था।

16. आरोप ज्ञापन के पहले लेख में, यह बयान दिया गया था कि हालांकि याचिकाकर्ता को नीपको में सी.वी.ओ. के पद से 04.07.2016 को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वह प्रासंगिक फाइलों को सौंपने में विफल रहा और उन्हें लंबे समय तक अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा।

17. दूसरे लेख में, यह बयान दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने नीपको में 04.07.2016 को 8 जावक संख्याएँ और 05.07.2016 को 2 जावक संख्याएँ लीं, और उसने इनका उपयोग 15.07.2016 और 23.07.2016 के बीच, अर्थात् सी.वी.ओ. के पद से मुक्त होने के बहुत बाद, रिपोर्ट जमा करने के लिए किया।

18. तीसरे लेख में, यह बयान दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने सभी 10 रिपोर्टों को अपने कब्जे में रखा और उन्हें नीपको के सतर्कता विंग के कार्यालय के माध्यम से न भेजकर, स्वयं जमा किया।

19. चौथे लेख में, यह बयान दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने सभी 10 रिपोर्टों को अपनी इच्छा से और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भेजा।

20. इसके बाद, याचिकाकर्ता को उसी मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.05.2016 को एक और आरोप ज्ञापन दिया गया। इसमें आरोप के पांच लेख शामिल थे। पहला लेख याचिकाकर्ता द्वारा सी.वी.सी. के विद्यमान निर्देशों के बावजूद, सी.एम.डी. को कोई सूचना दिए बिना कई अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर दौरा करने के बारे में था, जिनमें वे स्थान भी शामिल थे जहां उसका कोई आधिकारिक काम नहीं था (नहीं हो सकता था)।

21. दूसरे लेख में, यह बयान दिया गया था कि याचिकाकर्ता अपने दिनांक 18.02.2016 और 19.04.2016 के पत्र के माध्यम से सी.एम.डी. द्वारा दिए

गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, सी.एम.डी. को विभिन्न स्थानों पर अपनी यात्राओं की सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा।

22. तीसरे लेख में, यह बयान दिया गया था कि याचिकाकर्ता सी.एम.डी. को अपने निरीक्षणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा और इस तरह की चूक सी.एम.डी. द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के अतिरिक्त सी.वी.सी. के दिनांक 24.04.2005 और 04.05.2005 के निर्देशों का उल्लंघन थी।

23. चौथे लेख में, यह अभिकथन दिया गया था कि याचिकाकर्ता अक्सर उन स्थानों पर जाता था जहां उसका कोई आधिकारिक कार्य नहीं था और इसके लिए उसने 8,67,488 रुपये के टीए/डीए का भी दावा किया था। यह भी बयान दिया गया कि सी.वी.ओ. के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान वह लगभग 310 दिनों तक मुख्यालय (शिलांग) से बाहर रहा और उसने अक्सर लंबी अवधि की छुट्टियों को आधिकारिक दौरों के साथ जोड़ा था।

24. आरोप का अंतिम लेख यह था कि याचिकाकर्ता ने नीपको के सी.एम.डी. को एक उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि उसने टेलीफोनिक वार्ता/ संदेश के माध्यम से अपने दौरों के बारे में पहले से सूचित किया था और यह निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत था।

25. संशोधन द्वारा याचिकाकर्ता अतिरिक्त रूप से महानिदेशालय, आई.टी.बी.पी., गृह मंत्रालय की दिनांक 02.12.2020 की विभागीय जांच रिपोर्ट

को अभिखंडित करने की मांग करता है और याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के दिनांक 30.08.2022 के आदेश को भी अभिखंडित करने की मांग करता है।

26. दिनांक 13.08.2018 के आरोप ज्ञापन की अनुशासनात्मक कार्यवाही में, जांच प्राधिकारी ने 02.12.2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सभी आरोपों को साबित किया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच प्राधिकारी के विश्लेषण और निष्कर्षों से सहमत हो गया और याचिकाकर्ता को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति भेजी गई।

27. दिनांक 27.01.2021 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने इस पर विचार करने के बाद इसे गुणागुण रहित पाया और इसे खारिज कर दिया और राय दी कि उस पर एक उपयुक्त बड़ा जुर्माना लगाया जाए।

28. गृह मंत्रालय द्वारा सलाह के लिए संघ लोक सेवा आयोग का संदर्भ दिया गया था। यू.पी.एस.सी. ने अपने दिनांक 01.09.2021 के पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी कि यदि *"सेवा से बर्खास्तगी, जो आम तौर पर भविष्य में सरकार के अधीन रोजगार करने की अयोग्यता होगी"* का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।

29. यू.पी.एस.सी. की सलाह को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसे याचिकाकर्ता को भेजा गया था ताकि वह एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके, जिसे दिनांक 09.10.2021 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

30. दिनांक 13.08.2018 के आरोप के लेखों, जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट, मामले के अभिलेखों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और यू.पी.एस.सी. की सलाह को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1969 के नियम 7(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.08.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता पर *"सेवा से बर्खास्तगी, जो आम तौर पर भविष्य में सरकार के अधीन रोजगार करने की अयोग्यता होगी"* का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

31. दिनांक 30.08.2022 के उक्त आदेश को, अन्य बातों के साथ-साथ, रि.या. (सि.) 10539/2021 में संशोधन करके चुनौती दी गई है।

32. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सैयद ने प्रस्तुत किया कि जांच की कार्यवाही में कथित तौर पर यूट्यूब से डाउनलोड किए गए अनधिकृत वीडियो फुटेज पर भरोसा किया गया है और न तो वीडियो फुटेज और न ही इसकी प्रतिलिपि साबित हुई है। वे प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि

यह विधि के अनुसार साबित नहीं हुआ था, लेकिन इसे जांच प्राधिकारी, यू.पी.एस.सी. और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा साक्ष्य में पढ़ा गया है।

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच प्राधिकारी से 11.09.2016 की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का अनुरोध किया था, हालांकि अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और कार्यवाही एकपक्षीय रूप में आयोजित की गई थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि एकपक्षीय सुनवाई के दौरान अप्रमाणित वीडियो फुटेज और इसकी प्रतिलिपि को किसी भी साक्षी का परीक्षण किए बिना साबित दस्तावेजों के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

34. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा (2010) 2 एस.सी.सी. 772* में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि एक न्यायिककल्प प्राधिकरण में एक जांच प्राधिकारी को, और जिसे एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करना होता है, किसी विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। आरोपित अधिकारी की अनुपस्थिति में भी, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण करना होगा कि क्या अखंडित साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आरोप साबित हुए हैं या नहीं और विभाग का परीक्षण अनियत ढंग से नहीं किया जा सकता है।

35. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा *रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (2009) 2 एससीसी 570* में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी एक न्यायिककल्प कार्य करता है। अपचारी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षकारगण द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचे।

36. *ओ.आर.वाई.एक्स. फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (2010) 13 एससीसी 427* में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि एक न्यायिककल्प प्राधिकारी को अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते समय निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और कारण-बताओ कार्यवाही शुरू करते समय खुली मानसिकता से कार्य करना चाहिए और कारण-बताओ कार्यवाही का उद्देश्य उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, को नोटिस में दर्शाए गए प्रस्तावित आरोपों के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कराने का उचित अवसर देना है।

37. *कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम गिरजाशंकर पंत और अन्य (2001) 1 एससीसी 182* में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि जहां अनुशासनात्मक

प्राधिकरण के निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हों या पूरी तरह से दुराग्रहपूर्ण या विधिक रूप से अस्थिर हों, वहां न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

38. इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि पूरी कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है क्योंकि प्राधिकारियों ने पूर्वाग्रहपूर्ण ढंग से काम किया है। उन्होंने असत्यापित यूट्यूब डाउनलोड पर भरोसा किया है जो साबित नहीं हुआ है और अप्रमाणित प्रतिलिपियों पर भी भरोसा किया है। प्राधिकारियों ने पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य किया है और निष्पक्षता से खुली मानसिकता के साथ कार्य नहीं किया है और इस तरह अनुशासनात्मक कार्यवाहियां और दंड अभिखंडित किए जाने योग्य है।

39. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी भारतीय संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भारद्वाज प्रस्तुत करते हैं कि आरोप के लेखों को न केवल विधिवत साबित किया गया है, बल्कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को विधिवत स्वीकार किया गया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मीडिया को साक्षात्कार देने की बात स्वीकार की है। इसके लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। साक्षात्कार उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में नहीं था। उसने किसी भी स्तर पर यह भी स्पष्ट नहीं किया कि व्यक्त किए गए विचार उसके अपने थे।

40. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय सेवा (आचरण नियम) 1968 का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने मीडिया से वार्ता अपनी आधिकारिक क्षमता में नहीं की थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि उसने नीपको के अतिथि गृह में मीडिया के साथ बैठक की थी। कथित रूप से उसने एक चल रहे मुकदमे से संबंधित बयान दिए हैं और उन कार्यवाहियों में सरकार के मत के विपरीत बयान दिए हैं।

41. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने, अवसर दिए जाने के बावजूद, कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि पर आपत्ति नहीं जताई। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने कोई बचाव साक्षी पेश नहीं किया और मीडिया से बात करने की बात भी स्वीकार की है।

42. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने न केवल वीडियो और प्रतिलिपि पर विवाद नहीं किया, बल्कि अपने लिखित पक्षपत्र में उन पर भरोसा भी किया है। उसके लिखित पक्षपत्र के पैराग्राफ 4.4.1, 4.4.2, 4.11 और 4.14 का संदर्भ लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि साक्षात्कार देने और मीडिया से बात करने की स्वीकारोक्ति और लिखित पक्षपत्र में दिया गया स्पष्टीकरण वास्तव में कर्तव्य की अवहेलना के समान है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि मीडिया

साक्षात्कार योजनाबद्ध नहीं था और मीडियाकर्मी उसके कमरे के दरवाजे तक आ गए थे, स्पष्ट रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग के विपरीत है।

43. श्री भारद्वाज आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने किसी अधिकारी के विरुद्ध चल रहे अभियोजन और उन कार्यवाहियों, जो अभी भी न्यायालय में लंबित हैं, में सरकार के मत के बारे में मीडिया से बात करना स्वीकार किया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता अभियोजन से जुड़ा नहीं था, लेकिन उसने यह तर्क देते हुए रिट याचिका में अपने आचरण को सही ठहराने की मांग की है कि वह अभियोजन मामले की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था जिसकी उसने जांच की थी, जो दर्शाता है कि उसकी मंशा किसी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की थी।

44. याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता को 11.09.2016 पर स्थगन नहीं दिया गया था और दस्तावेजों अर्थात वीडियो और प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिया गया था, श्री भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता कार्यवाही में देरी कर रहा था और उसने पहले भी स्थगन की मांग की थी और जांच प्राधिकारी द्वारा उसे चेतावनी दी गई थी कि उसकी एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। वह प्रस्तुत करते हैं कि लॉकडाउन के झूठे बहाने से स्थगन की मांग की गई थी जबकि लॉकडाउन पहले ही खुल चुका था और उसके बाद वह 18.09.2016 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था।

45. वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा गया था क्योंकि इसके बाद उसने कार्यवाही में भाग लिया था और साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया था और उसने स्वयं अपने लिखित पक्षपत्र में वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपियों पर भरोसा किया था।

46. दिनांक 13.08.2018 का विषयगत आरोप ज्ञापन जिसके अनुसरण में जांच प्राधिकारी ने 02.12.2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.08.2022 का एक आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> *"नीपको, शिलांग के तत्कालीन सी.वी.ओ., श्री सतीश चंद्र वर्मा, आई.पी.एस. (जी.जे.: 1986), पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी.आर.पी.एफ., कोयंबटूर, के विरुद्ध आरोप के लेखों का विवरण रचा गया था।*
>
> *आरोप का लेख-1*
>
> *नीपको के तत्कालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सतीश चंद्र वर्मा ने सक्षम प्राधिकारी से किसी भी प्राधिकरण या अनुमति के बिना गुवाहाटी में नीपको के आधिकारिक परिसर में समाचार चैनल "इंडिया टुडे" के साथ 2 और 3 मार्च, 2016 को सार्वजनिक मीडिया के साथ बातचीत की और उन मामलों पर अनधिकृत रूप से बात की जो नीपको में उसके कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। उसने सरकारी परिसर, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया।*

उपरोक्त कृत्य द्वारा, वह अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण अखंडता और समर्पण बनाए रखने में विफल रहा और इस तरह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

<u>आरोप का लेख-2</u>

नीपको के तत्कालीन सी.वी.ओ. श्री सतीश चंद्र वर्मा ने गुजरात में एक आतंकवादी इशरत जहां की मुठभेड़ हत्या के मामले में सार्वजनिक मीडिया के साथ अपने संचार में तथ्य और राय का ऐसा बयान दिया, जिसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम है और जो पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने में भी सक्षम है। उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उसके द्वारा व्यक्त विचार उसके स्वयं के थे, न कि सरकार के।

उपरोक्त कृत्य द्वारा, उसने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 6, 7 और नियम 9 के उपबंधों का उल्लंघन किया।

<u>आरोप का लेख-3</u>

नीपको के तत्कालीन सी.वी.ओ. श्री सतीश चंद्र वर्मा ने सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के बिना और नीपको के सी.वी.ओ. के रूप में उसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति सद्भावना से कार्य किए बिना माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार द्वारा दायर शपथपत्रों की विषयवस्तु के संबंध में

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव से की गई पूछताछ, गुजरात में एक मुठभेड़ में मारी गई एक आतंकवादी इशरत जहां की आतंकवादी/गैर-आतंकवादी प्रकृति से संबंधित जांच, तथा उक्त मामले में श्री सतीश चंद्र वर्मा द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव की यातना के आरोप से संबंधित आधिकारिक जानकारी सीधे एक ऐसे व्यक्ति को दी, जिसे वह ऐसे दस्तावेज या जानकारी संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं था, और इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय और राज्य स्तर पर इशरत जहां मामले से निपटने वाले अधिकारियों और एक संवेदनशील मामले से निपटने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का व्यक्तिगत विवरण भी दिया, जिसमें विदेशी आतंकवादी से संबंधित मामले भी शामिल थे, इस प्रकार उसने व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को जोखिम में डाला।

उपरोक्त कृत्य द्वारा श्री सतीश चंद्र वर्मा ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1) और नियम 9 का उल्लंघन किया है।

<u>आरोप का लेख-4</u>

नीपको के तत्कालीन सी.वी.ओ. श्री सतीश चंद्र वर्मा ने सरकार की पूर्व स्पष्ट या मानित मंजूरी के बिना किए गए आधिकारिक कृत्यों की पुष्टि के लिए प्रेस (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) का सहारा लिया, जो प्रतिकूल आलोचना और मानहानिकारक प्रकृति के हमले का विषय रहे हैं, साथ ही उसने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री जी.के. पिल्लई और गृह मंत्रालय

के तत्कालीन अवर सचिव श्री आर.वी.एस. मणि के बयानों का विरोध करने के लिए समाचार चैनल 'इंडिया टुडे' का भी सहारा लिया। उपरोक्त कृत्य द्वारा श्री सतीश चंद्र वर्मा ने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1) और नियम 17 का उल्लंघन किया है।"

47. प्रासंगिक *अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968,* निम्नानुसार है:

*"नियम 3: **सामान्य**– 3(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो।*

(1क) सेवा का प्रत्येक सदस्य:-

(i) उच्च नैतिक मानक, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखेगा;

(ii) राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा;

(iii) कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा;

(iv) जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा;

(v) जनता, विशेषकर कमज़ोर वर्ग के प्रति अनुक्रियता बनाए रखेगा;

(vi) जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार करेगा।

(2) सेवा का प्रत्येक सदस्य अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन सभी सरकारी सेवकों की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।

(2क) सेवा का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विनम्र तरीके से कार्य करेगा और जनता के साथ या अन्यथा अपने व्यवहार में विलंबकारी रणनीति नहीं अपनाएगा।

(2ख) सेवा का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) संविधान की सर्वोच्चता के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करेगा और और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेगा;

(ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा;

(iii) लोक सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा;

(iv) केवल लोक हित में निर्णय लेगा और सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और आर्थिक रूप से उपयोग करेगा या कराएगा;

(v) अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करेगा और किसी भी संघर्ष को इस तरह से हल करने के लिए कदम उठाएगा जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा हो।

(vi) स्वयं को किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति किसी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखेगा जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में उसे प्रभावित कर सकता है;

(vii) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और अपने लिए, अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेगा;

(viii) केवल गुणागुण के आधार पर चुनाव करेगा, निर्णय लेगा और सिफारिशें करेगा;

(ix) निष्पक्षता और अपक्षपात के साथ कार्य करेगा और किसी के, विशेषकर गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के साथ भेदभाव नहीं करेगा;

(x) ऐसा कुछ भी करने से बचेगा जो किसी भी विधि, नियमों, विनियमों और स्थापित प्रथाओं के विपरीत होगा या हो सकता है।

(xi) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखेगा और उसे विधिवत संप्रेषित वैध आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(xii) अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा अपेक्षित है, विशेष रूप से जानकारी के संबंध में, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक राज्य के वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है

या किसी अपराध के लिए उद्दीपन या किसी व्यक्ति को अवैध या विधिविरुद्ध लाभ पहुंच सकता है;

(xiii) उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

3(3)(i) सेवा का कोई भी सदस्य, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में, या उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार सत्य और सही होने के अतिरिक्त अन्यथा कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जब वह अपने आधिकारिक वरिष्ठ के निर्देशन में कार्य कर रहा हो।

(ii) आधिकारिक वरिष्ठ का निर्देश आम तौर पर लिखित में होगा। जहां मौखिक निर्देश अपरिहार्य हो जाता है, वहां आधिकारिक वरिष्ठ इसके तुरंत बाद लिखित रूप में इसकी पुष्टि करेगा।

(iii) सेवा का एक सदस्य जिसे अपने आधिकारिक वरिष्ठ से मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ है, वह जितनी जल्दी हो सके लिखित रूप में इसकी पुष्टि की मांग करेगा और ऐसे मामले में, लिखित रूप में निर्देश की पुष्टि करना आधिकारिक वरिष्ठ का कर्तव्य होगा।

स्पष्टीकरण I.– सेवा का एक सदस्य जो आदतन उसे सौंपे गए कार्य को निर्धारित समय के भीतर और उससे अपेक्षित प्रदर्शन की गुणवत्ता के साथ करने में विफल रहता है, उसे उप-नियम

(1) के अर्थ के भीतर कर्तव्य के प्रति समर्पण से पीछे माना जाएगा;

स्पष्टीकरण II:– उप-नियम (3) के खंड (i) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सरकारी सेवक को किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्राधिकारी से निर्देश या अनुमोदन प्राप्त करके अपने उत्तरदायित्वों से बचने की शक्ति प्रदान करता है, जब ऐसे निर्देश शक्तियों और उत्तरदायित्वों के वितरण की स्कीम के अधीन आवश्यक न हों।

*(iv) **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर निषेध:–** सेवा का कोई भी सदस्य 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा।*

***** ***** *****

*नियम 6: **रेडियो प्रेस के साथ संबंध**–जब सेवा का कोई सदस्य, अपने कर्तव्यों के प्रामाणिक निर्वहन में या अन्यथा, एक पुस्तक प्रकाशित करता है या किसी सार्वजनिक मीडिया में योगदान देता है या भाग लेता है, तब सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।*

बशर्ते कि वह नियमों के उपबंधों का पालन करेगा और हर समय यह स्पष्ट करेगा कि व्यक्त किए गए विचार उसके अपने हैं, न कि सरकार के।

***** ***** *****

*नियम 7: **सरकार की आलोचना** – सेवा का कोई भी सदस्य, किसी भी रेडियो प्रसारण या संचार में किसी भी सार्वजनिक मीडिया पर या गुमनाम रूप से प्रकाशित किसी भी दस्तावेज में, छद्म नाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या प्रेस को किसी भी संचार में या किसी सार्वजनिक बयान में, तथ्य या राय का ऐसा कोई बयान नहीं देगा, -*

i. जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हाल की नीति या कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव डालता हो; या

ii. जो केंद्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम हो; या

iii. जो केंद्र सरकार और किसी भी विदेशी राज्य की सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम हो:

बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी सेवा के किसी सदस्य द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में और उसे सौंपे गए कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन में दिए गए किसी भी बयान या व्यक्त किए गए विचारों पर लागू नहीं होगा।

(भारत सरकार के निर्देश: इन नियमों के अंत में विविध कार्यकारी निर्देशों के तहत दिनांक 2 मार्च, 1976 को पुनः प्रस्तुत किए गए डी.पी. और ए.आर. के पत्र सं. 11017/9/75-ए.आई.एस.(III))

***** ***** *****

*नियम 9: **सूचना का अनधिकृत संचार** – सेवा का कोई भी सदस्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावना से प्रदर्शन के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या उसके अंश या जानकारी को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा जिसे वह ऐसे दस्तावेज या जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है।*

स्पष्टीकरण – सेवा के किसी सदस्य द्वारा (कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख या राष्ट्रपति को दिए गए अपने अभ्यावेदन में) या किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन से या किसी फाइल पर टिप्पण से, जिस तक पहुंच के लिए वह अधिकृत नहीं है, या जिसे वह अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए रखने के लिए अधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के भीतर जानकारी के अधिकृत संचार के समान होगा।

***** ***** *****

*नियम 17: **सेवा के सदस्यों के कृत्यों और प्रकृति की पुष्टि:–** सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार की पूर्व मंजूरी के अतिरिक्त, आधिकारिक अधिनियम की पुष्टि के लिए किसी भी न्यायालय या प्रेस का सहारा नहीं लेगा, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक प्रकृति के हमले का विषय रहा है।*

बशर्ते कि यदि अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी जाती है, तो सेवा

का सदस्य यह मानने के लिए स्वतंत्र होगा कि मांगी गई मंजूरी उसे प्रदान कर दी गई है।

स्पष्टीकरण- इस नियम की कोई भी बात सेवा के किसी सदस्य को अपने निजी प्रकृति या अपनी निजी क्षमता में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को सही साबित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। बशर्ते कि वह ऐसी कार्रवाई के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

48. आरोप पत्र यह कहते हुए जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता ने 02.03.2016 और 03.03.2016 को सार्वजनिक मीडिया के साथ बातचीत की थी और सक्षम प्राधिकारी से किसी भी प्राधिकरण या अनुमति के बिना गुवाहाटी में नीपको के आधिकारिक परिसर में समाचार चैनल "इंडिया टुडे" के साथ एक साक्षात्कार आयोजित किया था और उन मामलों पर अनधिकृत रूप से बात की थी जो नीपको में उसके कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। उसने सरकारी परिसर, एक सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया। यह आरोप लगाया गया था कि वह अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण अखंडता और समर्पण बनाए रखने में विफल रहा और इस तरह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3 (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया।

49. यह भी बयान दिया गया था कि उसने गुजरात में एक आतंकवादी इशरत जहां की मुठभेड़ हत्या के मामले में सार्वजनिक मीडिया के साथ अपने संचार में तथ्य और राय का ऐसा बयान दिया, जिसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार

की कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम था और जो एक पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने में भी सक्षम था और ऐसा करते हुए उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि व्यक्त किए गए विचार सरकार के नहीं थे और इस प्रकार उसने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 6, 7 और नियम 9 के उपबंधों का उल्लंघन किया।

50. यह भी बयान दिया गया था कि नीपको के तत्कालीन सी.वी.ओ. अर्थात् याचिकाकर्ता ने सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के बिना और नीपको के सी.वी.ओ. के रूप में उसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति सद्भावना से कार्य किए बिना माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार द्वारा दायर शपथपत्रों की विषयवस्तु के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव से की गई पूछताछ, गुजरात में एक मुठभेड़ में मारी गई एक आतंकवादी इशरत जहां की आतंकवादी/गैर-आतंकवादी प्रकृति से संबंधित जांच, तथा उक्त मामले में उसके द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव की यातना के आरोप से संबंधित आधिकारिक जानकारी सीधे एक ऐसे व्यक्ति को दी, जिसे वह ऐसे दस्तावेज या जानकारी संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं था, और इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय और राज्य स्तर पर इशरत जहां मामले से निपटने वाले अधिकारियों और एक संवेदनशील मामले से निपटने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का व्यक्तिगत विवरण

भी दिया, जिसमें विदेशी आतंकवादी से संबंधित मामले भी शामिल थे, इस प्रकार उसने व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को जोखिम में डाला। इस प्रकार उसने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1) और नियम 9 के उपबंधों का उल्लंघन किया।

51. आरोप पत्र में यह भी बयान दिया गया था कि उसने सरकार की पूर्व स्पष्ट या मानित मंजूरी के बिना किए गए आधिकारिक कृत्यों की पुष्टि के लिए प्रेस (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) का सहारा लिया, जो प्रतिकूल आलोचना और मानहानिकारक प्रकृति के हमले का विषय रहे हैं, साथ ही उसने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री जी.के. पिल्लई और गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव श्री आर.वी.एस. मणि के बयानों का विरोध करने के लिए समाचार चैनल 'इंडिया टुडे' का भी सहारा लिया। इस प्रकार उसने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1) और नियम 17 का उल्लंघन किया।

52. जांच प्राधिकारी ने 02.12.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। आरोप सं. 1 के संबंध में जांच प्राधिकारी ने देखा कि साक्षात्कार के दौरान याचिकाकर्ता ने गुजरात में एक मुठभेड़ में मारी गई आतंकवादी इशरत जहां की आतंकवादी/गैर-आतंकवादी प्रकृति, गुजरात पुलिस द्वारा की गई उक्त पुलिस मुठभेड़ हत्या की वैधता/वास्तविकता, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार द्वारा दायर शपथपत्रों की विषयवस्तु, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के

तत्कालीन अवर सचिव श्री आर.वी.एस. मणि के बयानों की विश्वसनीयता और और जांच के समय उसको दी गई यातना और उसके साथ की गई क्रूरता जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

53. आरोप सं. 1 के संबंध में, जांच प्राधिकारी ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसने मीडिया "इंडिया टुडे" के साथ बातचीत की थी। याचिकाकर्ता ने जांच प्राधिकारी के समक्ष इस बात पर जोर दिया था कि बातचीत अहमदाबाद में सी.बी.आई. न्यायालय में अभियोजन पक्ष के मामले में उसके स्पष्टीकरण/संदर्भ के संबंध में थी। जांच प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता ने मीडिया के साथ बातचीत की और मीडिया को उस मामले के बारे में सूचित किया जो उसके तत्कालीन पद से संबंधित नहीं था। जांच प्राधिकारी ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि अपनी बातचीत में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की आलोचना की, अनधिकृत जानकारी दी, आधिकारिक कृत्य की पुष्टि की और सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया। इस संबंध में नीपको के सी.एम.डी. को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी या मीडिया के साथ उसकी बातचीत के विषय में सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था।

54. आरोप सं. 2 के संबंध में जांच प्राधिकारी ने देखा कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक मीडिया के साथ अपने संचार में गुजरात पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ हत्या, भारत संघ द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर

शपथपत्र, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री जी.के. पिल्लई द्वारा आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में दिए गए बयान और श्री मणि पर याचिकाकर्ता द्वारा की गई यातना करने के आरोप की वास्तविकता के संबंध में तथ्यों और राय का बयान दिया। जांच प्राधिकारी ने आगे देखा कि साक्षात्कार में, याचिकाकर्ता ने नीपको में शामिल होने से पहले अपने द्वारा जांच किए गए मामले के विवरण का हवाला देने से इनकार नहीं किया और यह स्पष्ट नहीं किया है कि व्यक्त किए गए विचार उसके अपने थे न कि सरकार के, और उसने बिना किसी प्राधिकरण के, अपने कार्य से असंबंधित मुद्दों के बारे में मीडिया के साथ बातचीत की थी। जांच प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक मीडिया के साथ उसके संचार में केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार की कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ा है जो केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम है।

55. आरोप सं. 3 के संबंध में, जांच प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के बिना और नीपको के सी.वी.ओ. के रूप में उसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति सद्भावना से कार्य किए बिना, गुजरात में एक मुठभेड़ में मारी गई आतंकवादी इशरत जहां की आतंकवादी/गैर-आतंकवादी प्रकृति, गुजरात उच्च न्यायालय में भारत संघ द्वारा दायर शपथपत्र की विषयवस्तु, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के

तत्कालीन अवर सचिव की यातना के आरोप से संबंधित आधिकारिक जानकारी सीधे एक ऐसे व्यक्ति को दी, जिसे वह ऐसे दस्तावेज या जानकारी संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं था, और याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय और राज्य स्तर पर इशरत जहां मामले से निपटने वाले अधिकारियों और एक संवेदनशील मामले से निपटने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का व्यक्तिगत विवरण भी दिया, जिसमें विदेशी आतंकवादी से संबंधित मामले भी शामिल थे, इस प्रकार उसने व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को जोखिम में डाला।

56. आरोप सं. 4 के संबंध में, जांच प्राधिकारी ने देखा है कि याचिकाकर्ता ने सरकार की पूर्व स्पष्ट या मानित मंजूरी के बिना, आधिकारिक कृत्यों की पुष्टि के लिए मीडिया के साथ बातचीत की थी और यह एक निजी प्रकृति या उसकी व्यक्तिगत क्षमता में किया गया कार्य नहीं था।

57. जांच कार्यवाही के संबंध में जांच प्राधिकारी ने देखा कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग करने में विफल रहने के अतिरिक्त जांच कार्यवाही को विचलित करने और विलंबित करने का प्रयास किया। उसने प्रारंभिक सुनवाई से पहले ही जांच प्राधिकारी के विरुद्ध पक्षपात का आरोप लगाया, विभिन्न मुद्दों के लिए अनुचित समय मांगा, असंबंधित मुद्दों को उठाया और यहां तक कि विश्वास खोने का मुद्दा भी उठाया।

58. जांच प्राधिकारी ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिया:

"7.3 यह देखा गया है कि सी.ओ. (आरोपित अधिकारी) ने स्वयं उक्त तिथियों पर मीडिया के साथ बातचीत करने की बात स्वीकार की है। सी.ओ. ने अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान अपने द्वारा की गई जांच के बारे में मीडिया को जानकारी प्रदान करने से भी असहमति नहीं जताई है और इन जांचों का नीपको या विद्युत मंत्रालय में सी.ओ. की वर्तमान पोस्टिंग से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं था। मीडिया के साथ बातचीत करने से पहले सी.ओ. द्वारा नीपको या भारत सरकार से कोई पूर्व सूचना या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। मीडिया के साथ इस बातचीत के दौरान, सी.ओ. ने मीडिया को उन मामलों/पूछताछों के बारे में सूचित किया जो सी.ओ. के तत्कालीन पद से संबंधित नहीं थे। सी.ओ. ने अपने पक्षपत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि वह सी.बी.आई. में अभियोजन मामले की रक्षा कर रहा था। हालांकि, यदि सी.ओ. का ऐसा कोई इरादा था, तो उन मामलों, जिन्हें सी.ओ. ने पहले संभाला था, को स्पष्ट करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में मीडिया के साथ बातचीत करना, उपयुक्त मंच नहीं था, मुख्य रूप से तब जब उसे नीपको में सी.वी.ओ. के रूप में तैनात किया गया था, जिसका सी.ओ. द्वारा उसकी मीडिया बातचीत के दौरान दी गई टिप्पणियों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं था। उक्त बातचीत के दौरान सी.ओ. द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव से की गई पूछताछ, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार द्वारा दायर शपथपत्रों की विषयवस्तु, गुजरात में एक मुठभेड़ में मारी गई एक आतंकवादी इशरत जहां की आतंकवादी/गैर-आतंकवादी प्रकृति से

संबंधित जांच, उक्त मामले में सी.ओ. द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव की यातना के आरोप के बारे में दी गई जानकारी, तथा गृह मंत्रालय और राज्य स्तर पर इशरत जहां मामले से निपटने वाले अधिकारियों और एक संवेदनशील मामले से निपटने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का व्यक्तिगत विवरण देना, जिसमें विदेशी आतंकवादी से संबंधित मामले भी शामिल थे, जो कि व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को जोखिम में डालने के समान है। सी.ओ. ने सार्वजनिक मीडिया के साथ अपने संचार में तथ्य और राय का ऐसा बयान दिया जिसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम है और जो पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने में भी सक्षम है। सी.ओ. ने सरकार की पूर्व स्पष्ट या मानित मंजूरी के बिना किए गए आधिकारिक कृत्यों की पुष्टि के लिए मीडिया से बातचीत की, जो प्रतिकूल आलोचना और मानहानिकारक प्रकृति के हमले का विषय रहे हैं, साथ ही उसने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री जी.के. पिल्लई और गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव श्री आर.वी.एस. मणि के बयानों का विरोध किया।"

59. जांच प्राधिकारी ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सभी आरोप साबित हुए।

60. संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार को दी गई अपनी राय में कहा है कि मीडिया के साथ अपनी बातचीत के समय, याचिकाकर्ता नीपको में सी.वी.ओ. का पद संभाल रहा था, और इस प्रकार, 'इशरत जहां' से जुड़ी कथित मुठभेड़ हत्या से संबंधित मुद्दों पर मीडिया के साथ आधिकारिक रूप से बातचीत करने में सक्षम नहीं था और याचिकाकर्ता के लिए मुठभेड़ से संबंधित मुद्दों पर मीडिया के साथ बातचीत करना अत्यधिक अनुचित था। यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से विभिन्न मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की थी और बातचीत से बचने के लिए उसकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया था। आयोग ने यह भी पाया है कि याचिकाकर्ता ने नीपको, गुवाहाटी परिसर में मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए अनुमति नहीं ली थी।

61. आयोग ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उसके अपने थे, और सी.वी.ओ, नीपको के पद पर रहते हुए 'इशरत जहां' मुठभेड़ मामले के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए और व्यक्त किए गए विचार उस समय उसके द्वारा धारित पद से संबंधित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए विचार केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने में सक्षम थे, और पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को भी शर्मिंदा करने में सक्षम थे क्योंकि यह केंद्र सरकार और

गुजरात राज्य सरकार द्वारा पुलिस के साथ मुठभेड़ में आतंकवादियों/अन्य लोगों की हत्या के बाद की गई कार्रवाहियों के प्रति समालोचनात्मक थे।

62. आयोग ने जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव का परीक्षण करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

> *"6.1 पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए और अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य और बयानों के आधार पर, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि एम.ओ.एस. (सेवा सदस्य) ने सक्षम प्राधिकरण से बिना किसी प्राधिकार या अनुमति के गुवाहाटी में नीपको के आधिकारिक परिसर में समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में बातचीत की थी और उन मामलों पर अनधिकृत रूप से बात की थी, जो नीपको में उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। इस प्रकार, एम.ओ.एस. ने आधिकारिक परिसर, एक सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों और इशरत जहां की मुठभेड़ हत्या, गृह मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव से पूछताछ और भारत सरकार द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए शपथपत्र जैसे संवेदनशील मामलों में सार्वजनिक मीडिया के साथ उसकी बातचीत के माध्यम से तथ्यों और राय के ऐसे बयान केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार के कार्यों पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव डालने में सक्षम हैं; तथा केंद्र सरकार और गुजरात राज्य के बीच संबंधों को भी शर्मसार करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, ये पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने में भी सक्षम हैं।*

6.2 आयोग ने इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला है कि उपरोक्त अधिनियमों द्वारा, एम.ओ.एस पूरी तरह से और जानबूझकर पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहा है, और एक लोक सेवक के रूप में अनुचित ढंग से कार्य किया है, और इस तरह जानबूझकर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 6, 7.9 और 17 का उल्लंघन किया है। इसलिए, एम.ओ.एस. के विरुद्ध कथित आरोपों के सभी लेख, यानी लेख-1, लेख-2, लेख-3 और लेख-4 निर्णायक रूप से सिद्ध हैं।"

63. इसके बाद आयोग ने सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सलाह दी:

"7. उपर्युक्त चर्चा के अनुसार उनकी टिप्पणियों और निष्कर्षों के आलोक में और मामले से संबंधित अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पाया कि एम.ओ.एस. के विरुद्ध स्थापित आरोप उनकी ओर से गंभीर कदाचार का गठन करते हैं और विचार करते हैं कि यदि इस मामले में 'सेवा से बर्खास्तगी, जो आम तौर पर भविष्य में सरकार के अधीन रोजगार करने की अयोग्यता होगी' का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। वे उसी के अनुसार सलाह देते हैं।"

64. दिनांक 30.08.2022 के आदेश द्वारा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का परीक्षण करने के बाद, याचिकाकर्ता पर *"सेवा से बर्खास्तगी, जो आमतौर पर भविष्य में सरकार के अधीन रोजगार करने की अयोग्यता होगी"* का जुर्माना अधिरोपित किया।

65. यह देखा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश के लिए मुख्य चुनौती यह है कि जांच प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने यूट्यूब से कथित रूप से डाउनलोड किए गए अनधिकृत वीडियो फुटेज पर भरोसा किया है और जिसकी न तो फुटेज और न ही प्रतिलिपि साबित हुई है।

66. ध्यान देने योग्य बात यह है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी समय और हमारे समक्ष भी यह तर्क नहीं दिया है कि उसने 02.03.2016 और 03.03.2016 को मीडिया के साथ बातचीत नहीं की थी। बल्कि यह स्पष्ट है कि उसने मीडिया के साथ बातचीत की थी। यह बात भी विवादित नहीं है कि उसके पास बातचीत के लिए कोई पूर्व अनुमति या प्राधिकार नहीं था।

67. हालांकि यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि मीडिया कर्मियों ने जबरन परिसर में प्रवेश किया और उनसे प्रश्न करना शुरू कर दिया, लेकिन यह तर्क अभिलेख से सिद्ध नहीं होता है। इसके विपरीत यह तर्क इस तथ्य से स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध होता है कि वीडियो में याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से एक जगह पर बैठे हुए देखा जा सकता है और उसके कॉलर पर माइक्रोफोन लगा हुआ है और वह प्रश्नों के उत्तर दे रहा है।

68. याचिकाकर्ता को वीडियो फुटेज और इसकी प्रतिलिपि की एक प्रति प्रदान की गई थी। किसी भी समय याचिकाकर्ता ने फुटेज या प्रतिलिपि की विषयवस्तु पर विवाद नहीं किया है। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि विषयवस्तु से

छेड़छाड़, संपादन या परिवर्तन किया गया है। एकमात्र तर्क यह है कि वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड किया गया है और विधि के अनुसार साबित नहीं हुआ है।

69. जांच प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि याचिकाकर्ता को वीडियो और प्रतिलिपि की एक प्रति प्रदान की गई थी और उसे उस पर आपत्ति उठाने का अवसर दिया गया था और कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसके अतिरिक्त, जांच प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने यह भी देखा है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी वीडियो और प्रतिलिपि की विषयवस्तु को चुनौती नहीं दी। याचिकाकर्ता ने जांच प्राधिकारी को अपने लिखित पक्षपत्र में यह तर्क देते हुए मीडिया के साथ अपनी बातचीत को सही ठहराने के लिए प्रतिलिपि पर भी भरोसा किया है कि प्रतिलिपि से पता चलता है कि वह सरकार के अभियोजन मामले (अहमदाबाद में सक्षम न्यायालय के समक्ष सी.बी.आई. के आरोप पत्र), उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर शपथपत्र और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित साक्ष्य को स्पष्ट/संदर्भित कर रहा था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी समय उसने यह तर्क नहीं दिया है कि प्रतिलिपि सही नहीं है या इसके साथ छेड़छाड़ या संपादन किया गया है।

70. याचिकाकर्ता ने मीडिया के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया है, उसने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि उसके पास मीडिया से बात करने की कोई अनुमति या प्राधिकरण नहीं था। उसने इस बात से भी इनकार नहीं किया

है कि उसने मुठभेड़ हत्या और उन मुद्दों के बारे में बात की थी जो नीपको में सी.वी.ओ. के रूप में उसके कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। स्पष्ट रूप से मीडिया के साथ उसकी बातचीत सी.वी.ओ. नीपको के रूप में उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में नहीं थी। उसने यह भी निर्दिष्ट नहीं किया कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उसके अपने थे, न कि सरकार के।

71. यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियां उन कार्यवाहियों से संबंधित थीं जो विधि न्यायालय में लंबित थीं। याचिकाकर्ता ने जांच प्राधिकारी को अपने लिखित पक्षपत्र के साथ-साथ इस याचिका में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले की रक्षा करना उसका कर्तव्य था चूंकि उसने गुजरात उच्च न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में एक असाधारण स्थिति में मामले की जांच की थी जब सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग सरकार के अभियोजन मामले के विरुद्ध बोल रहे थे और इसके बावजूद सी.बी.आई. चुप थी, जबकि एक निरंतर मीडिया अभियान ने अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में पूरी तरह से गलत आधार पर संदेह व्यक्त किया, जो गुजरात उच्च न्यायालय की गहन निगरानी में सी.बी.आई. जांच का परिणाम था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं वीडियो फुटेज और प्रतिलिपि पर भरोसा कर रहा है ताकि वह मीडिया के साथ अपनी बातचीत को सही ठहरा सके।

72. जांच प्राधिकारी द्वारा स्थगन देने से इनकार करने और वीडियो फुटेज और प्रतिलिपि को अभिलेख में लेने के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि

जांच प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के आचरण और कार्यवाही में देरी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया है। जांच प्राधिकारी ने दर्ज किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता कार्यवाही में देरी करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसे आगाह किया गया था कि कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की जाएगी।

73. याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने लॉकडाउन के चलते 11.09.2020 पर स्थगन की मांग की थी। उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और जांच प्राधिकारी ने वीडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि को अभिलेख पर लेने की अनुमति दी। 11.09.2020 को, लॉकडाउन पहले ही खुल चुका था और याचिकाकर्ता यात्रा कर सकता था। इसके बाद याचिकाकर्ता स्वयं 18.09.2020 को उपस्थित हुआ और कार्यवाही में भाग लिया और साक्षी की प्रतिपरीक्षा की। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता 11.09.2020 की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखा पाया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता ने वीडियो की विषयवस्तु और प्रतिलिपि पर कभी आपत्ति नहीं जताई और यह उसका मामला नहीं है कि इसके साथ छेड़छाड़, संपादन किया है या यह दोषपूर्ण है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता स्वयं अपने बचाव को सिद्ध करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि पर भरोसा कर रहा है।

74. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा (पूर्वोक्त)* मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय

पर भरोसा करते हुए दिया गया यह तर्क कि एक न्यायिककल्प प्राधिकरण में एक जांच अधिकारी और जिसे एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करना होता है, उसे किसी विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता, गलत है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जांच प्राधिकारी ने स्वतंत्र रूप से उसके समक्ष रखी गई पूरी सामग्री पर विचार किया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित पक्षपत्र का भी आकलन किया है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अखंडित साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि आरोप साबित होते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा हमारे लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि जांच प्राधिकारी ने एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य नहीं किया है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है।

75. *रूप सिंह नेगी (पूर्वोक्त)* मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर किया भरोसा भी गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता यह दर्शाने में समर्थ नहीं है कि जांच प्राधिकारी ने न्यायिककल्प प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं किया है या सारी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में नहीं रखा है।

76. इसी तरह, *ओ.आर.वाई.एक्स. फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)* में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का दिया गया संदर्भ कि न्यायिककल्प प्राधिकारी को, अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष रूप से

कार्य करना चाहिए और खुली मानसिकता से कार्य करना चाहिए, भी गलत है और अभिलेख से सिद्ध नहीं होता है।

77. *उप महाप्रबंधक (अपीलीय प्राधिकारी) और अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव (2021) 2 एस.सी.सी. 612* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"27. यह सच है कि साक्ष्य के सख्त नियम विभागीय जांच कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, विधि की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपचारी के विरुद्ध आरोप को ऐसे साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जिस पर कार्रवाई करते हुए एक उचित व्यक्ति उचित और निष्पक्षता के साथ अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप की गंभीरता को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंच सके। यह सच है कि केवल अटकलें या अनुमान विभागीय जांच कार्यवाही में भी अपराध के निष्कर्ष को कायम नहीं रख सकते हैं।*
>
> *28. संवैधानिक न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, दुर्भावना या दुराग्रह के मामले को छोड़कर, अर्थात, जहां उस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति तर्कसंगत और निष्पक्षता के साथ काम करके उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है, विभागीय जांच कार्यवाही में*

सामने आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जब तक विभागीय प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई भी साक्ष्य मौजूद हैं, उस निष्कर्ष को बनाए रखना होगा।"

78. *कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम गिरिजा शंकर पंत और अन्य (2001) 1 एस.सी.सी. 182* मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"19. हालांकि यह सच है कि विभागीय कार्यवाही में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है और उच्च न्यायालय तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन विभागीय कार्यवाही के मामले में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की उपलब्धता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है और इसका पूरी तरह से विभागीय कार्यवाही में भी उपयोग होता है जहां यह पाया जाता है कि दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या निष्कर्ष पूरी तरह से दुराग्रहपूर्ण या विधिक रूप से असमर्थनीय हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता या अपर्याप्तता की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा कोई निष्कर्ष होने की स्थिति में जो अन्यथा न्यायालय की न्यायिक अंतश्चेतना को झकझोर देता है, प्रभावित व्यक्ति के कहने पर न्यायिक पुनर्विलोकन की उपलब्धता की निंदा करना लगभग असंभव है। हालांकि उपरोक्त टिप्पणियों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद

बनाम ए.के. चोपड़ा (1999 (1) एस.सी.सी. 759) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से कुछ समर्थन मिलता है।

*20. यह विधि की एक मौलिक आवश्यकता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और यह वास्तव में इस देश के प्रशासनिक न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग बन गया है। न्यायिक प्रक्रिया स्वयं बचाव के लिए एक निष्पक्ष और उचित अवसर को स्वीकार करती है, हालांकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। *******"*

79. उच्चतम न्यायालय ने *आर. महालिंगम बनाम टी.एन. लोक सेवा आयोग, (2013) 14 एस.सी.सी. 379* में अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाले मामलों में हस्तक्षेप के दायरे का परीक्षण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि *"नियोक्ता द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाले मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय मुख्य रूप से इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है और क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है। न्यायालय यह भी विचार कर सकता है कि क्या अपचारी के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए कुछ ठोस साक्ष्य थे और इस तरह के साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का यथोचित समर्थन करते हैं। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जांच निर्धारित प्रक्रिया और नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुरूप की गई थी और अनुशासनात्मक*

प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष कुछ ठोस साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, तो विशेष दंड अधिरोपित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए विवेक के साथ हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि जब यह कदाचार साबित होने पर पूरी तरह से असंगत पाया जाए या न्यायालय की अंतश्चेतना को झकझोर दे।"

80. *परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए.के. चोपड़ा, (1999) 1 एस.सी.सी. 759* में उच्चतम न्यायालय ने विभागीय कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे को निम्नानुसार स्पष्ट किया:

> *"16. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस स्थापित स्थिति की अनदेखी की है कि विभागीय कार्यवाहियों में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है और यदि अपीलीय प्राधिकरण को अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकरण, एकमात्र तथ्य-खोज अधिकारी होने के नाते, के पास साक्ष्य की पुनर्विवेचना करने और तथ्यों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति/और अधिकार क्षेत्र भी होता है। एक बार जब तथ्य के निष्कर्ष, साक्ष्य की विवेचना के आधार पर दर्ज किए जाते हैं, तो रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय आम तौर पर उन तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि यह पता नहीं चलता है कि दर्ज किए गए निष्कर्ष या तो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे या कि निष्कर्ष पूरी तरह से दुराग्रहपूर्ण और/या विधिक रूप से असमर्थनीय थे। साक्ष्य की पर्याप्तता या अपर्याप्तता को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार*

करने की अनुमति नहीं है। चूंकि उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं होता है, इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, सामान्य रूप से, अपचारी के अपराध के संबंध में, विभागीय प्राधिकारियों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। जहां तक जुर्माने या दंड के अधिरोपण का संबंध है, जब तक कि अनुशासनात्मक या विभागीय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किया गया दंड या जुर्माना या तो अनुज्ञेय नहीं है या यह उच्च न्यायालय की अंतश्चेतना को झकझोर नहीं देता है, उसे आम तौर पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए और कोई अन्य दंड या जुर्माना अधिरोपित नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ, दोनों ने ही इस सुस्थापित सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया है कि भले ही प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनर्विलोकन लचीला होना चाहिए और इसका आयाम बंद नहीं होना चाहिए, फिर भी न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए, तथ्य के निष्कर्षों की शुद्धता से चिंताशील नहीं है, जिसके आधार पर आदेश दिए जाते हैं, जब तक कि वे निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा उचित रूप से समर्थित होते हैं और उन कार्यवाहियों द्वारा निकाले जाते हैं जिन्हें प्रक्रियात्मक अवैधताओं या अनियमितताओं के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है जो उस प्रक्रिया को दूषित करते हैं जिसके द्वारा निर्णय लिया गया था। यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि निर्णय

लेने की प्रक्रिया के परीक्षण तक ही सीमित है। नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कॉन्स्टेबल बनाम इवांस [(1982) 3 ऑल ई. आर. 141 एच.एल.] में लॉर्ड हेलशम ने टिप्पणी दी:

> *"न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाए, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी, निष्पक्ष व्यवहार के बाद, एक ऐसे मामले पर पहुंचे, जिस पर निर्णय लेने के लिए वह अधिकृत है या स्वयं विधि द्वारा आदेश दिया गया है, जो न्यायालय की नजर में सही है।"*

17. <u>न्यायिक पुनर्विलोकन, किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि उस मामले का पुनर्विलोकन है जिसमें निर्णय लिया गया था, न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यदि प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करने के बाद निर्णय लिया गया है और व्यक्ति को उसके विरुद्ध मामले को पेश करने के लिए निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हुआ है, तो न्यायालय उस मामले में प्रशासनिक प्राधिकरण के साथ अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जो उस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है।"</u>

(ज़ोर दिया गया)

81. भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आम तौर पर, विभागीय जांच में तथ्यात्मक निष्कर्षों के साथ पुनर्विलोकन अधिकार क्षेत्र का

प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जब तक कि न्यायालय को यह पता न चले कि अभिलिखित निष्कर्ष या तो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे या कि निष्कर्ष पूरी तरह से दुराग्रहपूर्ण और/या विधिक रूप से असमर्थनीय थे।

82. *आं.प्र. राज्य बनाम एस. श्री रामाराव, (1964) 3 एस.सी.आर. 25* में उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे की निम्नानुसार व्याख्या की:

> *"7. ****** उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में एक लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों के निर्णय पर अपील की न्यायालय के रूप में नहीं किया गया है: इसका गठन यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या जांच उस ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है, और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, और क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जहां कुछ साक्ष्य हैं, जिसे उस प्राधिकारी, जिसे जांच करने का कर्तव्य सौंपा गया था, ने स्वीकार कर लिया है और जो साक्ष्य उचित रूप से इस निष्कर्ष का समर्थन कर सकते हैं कि अपचारी अधिकारी आरोप का दोषी है, तो साक्ष्य का पुनर्विलोकन करना और साक्ष्य पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट की याचिका में उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। उच्च न्यायालय निस्संदेह*

रूप से वहां हस्तक्षेप कर सकता है जहां विभागीय प्राधिकारियों ने नैसर्गिक न्याय के नियमों के साथ असंगत ढंग से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले कानूनी नियमों के उल्लंघन में अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की है या जहां प्राधिकारियों ने साक्ष्यों और मामले के गुणागुण से परे कुछ विचारों के कारण या स्वयं को अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित होने की अनुमति देकर निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचने से स्वयं को अक्षम कर लिया है या जहां प्रथम दृष्टया निष्कर्ष इतना मनमाना और अनुचित है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर या इसी तरह के आधार पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन विभागीय प्राधिकारी, यदि जांच अन्यथा ठीक से की जाती है, तो तथ्यों के एकमात्र न्यायाधीश होते हैं और यदि यहां कुछ विधिक साक्ष्य मौजूद हैं जिन पर उनके निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता एक ऐसा मामला नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार करने की अनुमति दी जा सकती है।"

83. *भारत संघ बनाम पी. गुणशेखरन, (2015) 2 एस.सी.सी. 610* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के मापदंडों को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"12. सुस्थापित स्थिति के बावजूद, यह बेहद परेशान करने वाला है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया है, यहां तक कि जांच

प्राधिकारी के समक्ष मौजूद साक्ष्य की पुनर्विवेचना भी की है। आरोप 1 के निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय पहली अपील के दूसरे न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और न ही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य की पुनर्विवेचना करने का उद्यम नहीं करेगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि क्या:

(क) जांच एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है;

(ख) जांच उस ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;

(ग) कार्यवाही के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है;

(घ) प्राधिकारियों ने मामले के साक्ष्यों और गुणागुणों से परे कुछ विचारों के कारण स्वयं को निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचने से अक्षम कर दिया है;

(ङ) प्राधिकारियों ने स्वयं को अप्रासंगिक अथवा बाह्य विचारों से प्रभावित होने दिया है;

(च) यह निष्कर्ष, प्रथम दृष्टया, इतना मनमाना और अनुचित है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है;

(छ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य स्वीकार करने में विफल रहा था;

(ज) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने गलती से अस्वीकार्य साक्ष्यों को स्वीकार कर लिया था जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया;

(झ) तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय निम्नलिखित नहीं करेगा:

(i) साक्ष्य की पुनर्विवेचना;

(ii) जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप, यदि वे विधि के अनुसार किए गए हैं;

(iii) साक्ष्य की पर्याप्तता जानना;

(iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता जानना।

(v) यदि कुछ विधि साक्ष्य हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, उनमें हस्तक्षेप करना।

(vi) तथ्य की त्रुटि को ठीक करना, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न लगे।

(vii) दंड की आनुपातिकता पर तब तक विचार न करें, जब तक कि यह उसकी अंतश्चेतना को झकझोर न दे।"

84. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उन मुद्दों के संबंध में प्रेस के साथ बातचीत की जो उसके

कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। याचिकाकर्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि उसने 02.03.2016 और 03.03.2016 पर मीडिया के साथ बातचीत की थी। यह भी विवाद में नहीं है कि उसके पास बातचीत के लिए कोई पूर्व अनुमति या प्राधिकरण नहीं था। किसी भी समय याचिकाकर्ता ने फुटेज या प्रतिलिपि की विषयवस्तु पर विवाद नहीं किया है। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि विषयवस्तु के साथ छेड़छाड़, संपादन या परिवर्तन किया गया है।

85. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जांच प्राधिकारी को अपने लिखित पक्षपत्र में बातचीत को सही ठहराने के लिए भी प्रतिलिपि पर भरोसा किया है। उसने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि उसने मुठभेड़ हत्या और उन मुद्दों के बारे में बात की थी जो नीपको के सी.वी.ओ. के रूप में उसके कर्तव्यों के दायरे में नहीं थे। याचिकाकर्ता द्वारा मीडिया के समक्ष की गई टिप्पणियां उन कार्यवाही से संबंधित थीं जो न्यायालय में लंबित थीं।

86. स्पष्ट रूप से, यह मामला उन मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जहां जांच प्राधिकारी द्वारा लौटाए गए निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या नैसर्गिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों का उल्लंघन दर्शाने में सक्षम नहीं है, हमें जांच प्राधिकारी द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों या अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

87. हमें यह उल्लेख करना होगा कि याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण को अपील के उपाय का लाभ उठाए बिना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क किए बिना लंबित रिट याचिका (रि.या.(सि.) 10539/2021) में संशोधन करके सीधे हमारे समक्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 30.08.2022 के आदेश पर जानबूझकर आक्षेप जताया था।

88. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका *(रि.या. (सि) 10539/2021 जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में मू.आ. 453/2020 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने; आरोप ज्ञापन दिनांक 13.08.2018 को अभिखंडित करने और संशोधन के बाद महानिदेशालय, आई.टी.बी.पी., गृह मंत्रालय की विभागीय जांच रिपोर्ट दिनांक 02.12.2020 को अभिखंडित करने और याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिनांक 30.08.2022 को अभिखंडित करने की मांग की थी)* में कोई गुणागुण नहीं मिला था। तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।

89. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया है, हमारा विचार है कि

(1) रि.या. (सि) 10486/2021 *(जिसमें याचिकाकर्ता, मू.आ. 452/2020 (निर्णय में गलती से मू.आ. 454/2020 के रूप में संदर्भित) में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को*

अभिखंडित करने की मांग करता है और दिनांक 28.09.2018 के आरोप ज्ञापन को भी अभिखंडित करने की मांग करता है);

(2) रि.या. (सि) 10493/2021 *(जिसमें याचिकाकर्ता, मू.आ. 454/2020 (निर्णय में गलती से मू.आ. 452/2020 के रूप में संदर्भित) में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने की मांग करता है, और वर्ष 2015-2016 के लिए अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियों को भी अभिखंडित करने की मांग करता है);* और

(3) रि.या. (सि.) 10519/2021 *(जिसमें याचिकाकर्ता मू.आ. 3610/2019 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के निर्णय को अभिखंडित करने की मांग करता है और दिनांक 09.05.2016 के आरोप ज्ञापन को भी अभिखंडित करने की मांग करता है)*

निरर्थक हो जाती हैं। तदनुसार इन्हें निष्फल मानकर खारिज किया जाता है।

90. उपरोक्त शर्तों के अनुसार याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

न्या. संजीव सचदेवा

मु.न्या. सतीश चंद्र शर्मा

24 मई, 2023
एच.जे.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।